P.D. (G) 4534 3/8

DPD(G) 03/8

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन (जलागम) अनुभाग
संख्या : /2018-24(5)/2013
देहरादून : दिनांक 02 अगस्त ~~जुलाई~~, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, पौड़ी, टिहरी उत्तरकाशी एवं रूद्रपयाग में क्रियान्वित विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के सुचारू रूप से संचालन, परियोजना के प्रभाग स्तरीय, ग्राम पंचायत विकास कार्यों में परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं सम्बन्धित रेखीय विभागों की योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण (Convergence) के उद्देंश्य से परियोजनान्तर्गत आच्छादित ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराने के लिये जिला स्तर पर जिला जलागम समन्वय समिति (DWCC) का गठन निम्नवत् किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. सम्बन्धित जिलाधिकारी - अध्यक्ष
2. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष
3. सम्बन्धित उप परियोजना निदेशक - सदस्य सचिव
4. सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत FNGO का एक प्रतिनिधि - सदस्य
5. सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के नोडल प्रभागीय वनाधिकारी - सदस्य
6. परियोजना निदेशक- DRDA/जिला मिशन प्रबन्धन- NRLM - सदस्य
7. मुख्य कृषि अधिकारी - सदस्य
8. जिला उद्यान अधिकारी - सदस्य
9. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी - सदस्य
10. जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समिति - सदस्य
11. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र - सदस्य
12. अधिशासी अभियन्ता, लद्यु सिचाई विभाग - सदस्य
13. अग्रणी बैंक प्रबन्धक - सदस्य
14. जिला प्रबन्धक- नाबार्ड - सदस्य
15. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास परियोजना - सदस्य
16. सम्बन्धित विकासखण्डो के खण्ड विकास अधिकारी - सदस्य
17. सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र के ग्राम पंचायतो के चार सदस्य (वार्षिक चक्रीय क्रमानुसार) - सदस्य

2. समिति की बैठक न्यूनतम प्रत्येक 6 माह में एक बार (एक वित्तीय वर्ष में दो बार) होगी, जिसमें परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्बन्धित रेखीय विभागों तथा वित्तीय संसाधनों के साथ केन्द्राभिसरण (Convergence) के अवसरों पर विचार-विमर्श तथा उसकी समीक्षा की जायेगी।

3. समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु उनके निवास से आने जाने का रेल/बस/टैक्सी का वास्तविक किराया व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित उप परियोजना निदेशक स्तर से देय होगा। इस पर होने वाले व्यय का वहन परियोजनान्तर्गत सुसंगत मद के अन्तर्गत विभाग के निवर्तन पर रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या 493 /24(5)/2013 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 जलागम मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
6. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी एवं देहरादून।
8. उपरोक्तानुसार समिति के समस्त सदस्यगण (द्वारा जलागम प्रबन्ध निदेशालय)।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव